

**:भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 958**  
**सोमवार, 29 जुलाई, 2024 / 7 श्रावण, 1946 (शक)**

**ई-श्रम पोर्टल**

**958. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**  
**एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में संगठित श्रमिकों की कुल संख्या की तुलना में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने पंजीकरण की गति में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के मामले में अखिल भारतीय सर्वेक्षण को अगस्त 2022 तक पूरा करने का प्रस्ताव रखा था; और
- (ङ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार द्वारा सत्यापित और सहबद्ध असंगठित कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण हेतु 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने और उनकी सहायता करने के लिए है जिसमें उनको सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) तथा ई-श्रम कार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 22 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार, 29.82 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण में जागरूकता और तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के समन्वय से कई पंजीकरण शिविर और अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के सहायता प्राप्त मोड़ पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया। ई-श्रम को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है, ताकि कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल की सुविधा पर पंजीकरण/अद्यतन सुविधा प्रदान की जा सके।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो ने बहु-स्तरीय नमूना डिजाइन के आधार पर सैंपल परिवारों का चयन करके प्रवासी कामगारों पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया है। कार्यक्रम, सैंपलिंग और अन्य सभी तकनीकी ब्यौरा को अंतिम रूप देने के लिए सर्वेक्षण की देख-रेख हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। सर्वे का फील्ड (क्षेत्र स्तरीय) कार्य पूरा हो चुका है।

\*\*\*\*